न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल।

सी0आर0 सं0 162/2020
विविध न0 06/2021

09.04.2021

परिवादी की ओर से हाजरी है।

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। परिवाद पत्र परिवादी द्वारा दिनांक 12.10.2020 को कुल तीन अभियुंक्तों 1. हीरा यादव 2. चनमनी यादव एंव 3. कैरकु यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 147,148,323,307,380,427,504 के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा जांच हेतु अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम के कार्यालय से दिनांक 02.02.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जांच के क्रम में परिवादी का शपथ पूर्वक बयान लिया गया तथा परिवादी की ओर से कुल दो साक्षी चलित्तर यादव एवं मनीषा देवी को जांच साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया। परिवाद पत्र एवं जांच साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया। जाचं सक्षियों ने परिवाद पत्र का समर्थन किया है। इस प्रकार वर्तमान स्तर पर परिवाद पत्र में नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341,323,504/34 का मामला बनता हुआ परिलक्षित हो रहा है। भा0द0वि0 की अन्य धाराओं में परिवाद पत्र पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है।

तदनुसार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तों 1. हीरा यादव 2. चनमनी यादव एंव 3. कैरकु यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341,323,504/34 के अन्तर्गत संज्ञान विचारण हेतु आहूत किया जाता है।

परिवादी 15 दिनों के अन्दर आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करें ततपश्चात कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें।

दिनांक 18.05.2021 वास्ते दाखिल करने सम्मन का उपकरण।

लेखाप्रित